भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4995
(सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कॉरपोरेट अनुपालन उल्लंघनों के अधिनिर्णय

4995. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट अनुपालन उल्लंघनों के अधिनिर्णय के लिए औसत समय-सीमा का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कंपाउंडिंग और अधिनिर्णय की कार्यवाहियों का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या छोटी कंपनियों पर अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए जोखिम-आधारित निरीक्षण मॉडल कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मुखौटा कंपनियों और संबंधित पक्षों के लेन-देन में अनियमितताओं की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
हैं?
(ङ) सरकार द्वारा कॉरपोरेट विनियामक प्रवर्तन में पारदर्शिता और दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी, हां। निपटाए गए मामलों की न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू होने की तारीख से आदेश जारी करने में लगने वाला औसत समय वर्तमान में लगभग 43 दिन है।

(ख): एमसीए 21 संस्करण 3 (वी3) के तहत, मंत्रालय ने सितंबर 2024 में ई-न्यायनिर्णयन मॉड्यूल लॉन्च किया है ताकि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को शुरू से अंत तक डिजिटाइज करने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित न्यायनिर्णयन तंत्र स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त,

न्यायनिर्णयन के आदेश के विरूद्ध अपीलों को भी शुरू से अंत तक डिजिटाइन किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपाउंडिंग कार्यवाही को एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से आंशिक रूप से डिजिटाइज (फाइलिंग चरण में) किया गया है।

(ग): जब कभी केंद्रीय/क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति (सीईआईसी/आरईआईसी), बैंकों से धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर), गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की बाजार अनुसंधान और विश्लेषण इकाई (एमआरएयू) की रिपोर्ट या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने किसी कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा दायर ई-प्ररूप एडीटी-4 के माध्यम से गंभीर उल्लंघनों या कारपोरेट अभिशासन के मुद्दों की ओर इंगित करते हुए और जनहित से संबंधित कोई शिकायत या संदर्भ प्राप्त होता है, तो उसकी जांच की है। जांच और मामलों की गंभीरता के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(5) के तहत कंपनी के विरूद्ध निरीक्षण के आदेश दिए जाते हैं।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "शेल कंपनी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जहां तक संबंधित पक्षकारों के लेन-देन में अनियमितताओं का संबंध है, एमसीए21 प्रणाली में कंपनियों द्वारा की गई जिन फाइलिंग पर आपत्ति जताई गई है, उनकी आगे जांच की जाती है और ऐसी जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ): मंत्रालय ने सभी फाइलिंग को एमसीए21 वी3 में अंतरित कर दिया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य अनुपालन दक्षता को बढ़ाना, डेटा रिपोर्टिंग को मानकीकृत करना और वेब-आधारित फाइलिंग, उन्नत सत्यापन, पहले से भरे हुए प्ररूप और मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र जैसी सुविधाओं के माध्यम से डिजिटल कारपोरेट प्रशासन को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट नियामक प्रवर्तन में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करने के लिए उपरोक्त पोर्टल की अन्य कार्यक्षमताएं जैसे ई-निर्णय, ई-परामर्श आदि शुरू की गई हैं।
